कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड पौडी।
संख्या–118 /2–2–स्था0 (308)/2018.19
देहरादूनः दिनांकः 15 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत दुर्गम/सुगम कार्यस्थल का चिन्हिकरण, स्थानान्तरण हेतु ग्राम्य विकास विभागार्न्तगत श्रेणी 'ख' 'ग' एवं 'घ' के विभागीय पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.ukrd.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अधिनियम की धारा–7 घ के अनुसार सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की छूट हेतु सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 19 अप्रैल 2018 तक अधिनियम की धारा–3 के अनुसार अपना दावा एवं सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति सहित ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग–1), उत्तराखण्ड शासन के ई–मेल आई0डी0 dcprogramme303@gmail.com पर उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत अधिनियम की धारा–7 घ के अनुसार सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की छूट हेतु दावा मान्य नहीं होगा तथा अधिनियम की धारा–3 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर नियमानुसार देय छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
आयुक्त,

संख्याः 118 /2–2– स्था0 (308)/2018.19 तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाईल।

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,